न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन स. 296/2024

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

वकील प्रार्थीगण :– श्री शाकर खान एच.

वकील विप्रार्थीगण :– श्री ईलम खान समेजा

अनवान : आबास बनाम असलम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक :– 4/7/24

प्रार्थीगण (मूल आवेदन में विप्रार्थीगण सं. 1 से 6) की ओर से अधिवक्ता श्री शाकरखान एच. ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया । जिसके जवाब हेतु विप्रार्थी (मूला आवेदन के प्रार्थी) अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद पेश नहीं किया । अतः विप्रार्थी (मूला आवेदन के प्रार्थी) अधिवक्ता के जवाब का अवसर बन्द किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि मूल आवेदन के प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 6 तथा खतीजा, फातमा पुत्रिया अहमद की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा धनाऊ तहसील धनाऊ जिला बाडमेर में आई हुई थी। जिसका सभी खातेदारों द्वारा सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया। जिसके आदेश सं. 1061 दिनांक 17.07.2009 की पालना में पटवारी हल्का धनाऊ ने नामानतरकरण सं. 840 खोला जाकर उक्त नामान्तरकरण की जांच भू अभिलेख निरीक्षक धनाऊ द्वारा दिनांक 29.07.2009 को की गई एवं तहसीलदार सेडवा द्वारा नामान्तरकरण सं. 840 को दिनाक 30.07.2009 को ... स्वीकृत नामान्तरकरण के साथ सहमति बटवाडा की तरमीम की गई।

उक्त सहमति बंटवाडा के बाद प्रार्थी एवं विप्रार्थी स. 1 से 06 ने ... अपनी भूमि की पक्की नखमबन्दी भी उपखण्ड अधिकारी चौहटन के न्यायालय आदेश से करवाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी आबास ने दिनाक 22.11.2024 को उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम के तहत न्यायालय मे पेश कर सहमति बटवाडा की तरमीम को गलत बताया है तथा तरमीम शुद्धि करने का निवेदन श्रीमान के न्यायालय मे किया है। उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का सहमति बटवाडा के विरूद्ध होने से श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार का नही है। सहमति बटवाडा से हुई तरमीम के सबध प्रार्थी को माननीय जिला कलक्टर बाडमेर के न्यायालय मे अपील पेश करनी चाहिए थी।

अत निवेदन है कि उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का सहमति बटवाडा के विरूद्ध होने से श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार का नही होने एव प्रार्थी के मनगढत एव सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से प्रार्थीगण (मूल आवेदन मे विप्रार्थीगण स. 1 से 6) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधिनियम का सव्यय खारीज फरमया जावे।

प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थी (मूल आवेदन के प्रार्थी) अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को लेकर जो बटवाडा हुआ है उसकी तरमीम पक्षकारो के कब्जा काश्त अनुसार नही की गई। प्रार्थी के कब्जा काश्त वाली भूमि की तरमीम विप्रार्थीगण के पक्ष मे कर दी गई, जिसकी आड मे विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से वाली भूमि पर अवैध कर प्रार्थी के हिस्से वाली भूमि का बेचान करने हेतु आमदा है। गलत तरमीम की आड मे विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थी ने श्रीमान के न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरस्ती हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का पेश कर तरमीम दुरस्ती की इस्तदुआ चाही है। विप्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का मनगढत एव सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य [illegible] विप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का खारीज [illegible]।

अधिवक्ताओ की बहस पर [illegible] किया गया [illegible] पत्रावली का अध्ययन / अवलोकन किया गया, पत्रावली पर [illegible] अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदन मे वर्णित वादग्रस्त आराजी का सहमति बटवाडा हो चुका है जिसका नामान्तरकरण स. 840 खोला जाकर उक्त नामान्तरकरण अनुसार आवेदन म

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वर्णित वादग्रस्त आराजी की तरमीम की गई ।इससे स्पष्ट होता है कि विप्रार्थी (मूल आवेदन के प्रार्थी) की ओर से वादग्रस्त आराजी को लेकर प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का पेश करने में न्यायालय को अंधेरे में रखा तथा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए ***Clean Hand*** से आवेदन पेश नहीं किया । इसलिए प्रार्थीगण (मूल आवेदन के विप्रार्थी) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी (मूल आवेदन के प्रार्थी) का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं होने तथा सारहीन एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 4/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested